झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

सं०–SUDA/AMRUT/BPAMS/PROPERTY TAX/140/2017...7059 रॉंची, दिनांक...14/11/17

Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP), भारत सरकार के Ease of Doing Business (EoDB) Reform Agenda के अंतर्गत तय समय सीमा में विभिन्न सेवाओं के आवेदन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु झारखण्ड सरकार द्वारा अनेक सकारात्मक पहल की गई है।

2. EoDB के Reform Agenda संख्या 68–73 में Property Registration Enablers के लिए "Digitalized Land records covering compliance history of property tax at the local municipality office in the state can help effectively target property taxes to the correct owners, as well as conducting verification to ensure that all property taxes are paid upon submission of construction permit applications" उल्लिखित है।

3. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के विभागीय पत्रांक–701/नि० दिनांक– 22.08.2017 द्वारा शहरी क्षेत्र के दस्तावेजों के निबंधन में नगर निगम/नगर पालिका/नगर निकाय/अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा निर्गत होल्डिंग नम्बर अंकित करने का अनिवार्यता की गई है।

4. झारखण्ड नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रघन और वसूली) नियमावली, 2013 की कंडिका–2 के उप कंडिका–13 के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में खाली भूखण्ड पर Holding Tax लिये जाने का प्रावधान है।

5. नक्शा स्वीकृति के क्रम में भवन उपविधि, 2016 यथा संशोधित 2017 की कंडिका–5.3 एवं 5.4 के अनुसार कुछेक दस्तावेज समर्पित किया जाना आवश्यक है।

6. कंडिका–4 के परिप्रेक्ष्य में झारखण्ड भवन उपविधि, 2016 यथा संशोधित 2017 की कंडिका–89 के उप–कंडिका–4 में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा DIPP अन्तर्गत EoDB से संबंधित विषयों पर विभागीय स्तर पर निर्णय के क्रम में अधिसूचना निर्गत करने हेतु प्राधिकृत है।

7. उक्त के आलोक में भवन प्लान स्वीकृति के लिए आवेदन जमा करने हेतु परती/खाली भूमि का Holding No. जमा किया जाना अनिवार्य किया जाता है।

8. पिछले वित्तीय वर्ष तक का Property Tax जमा रहने की जाँच Online माध्यम से Integrated Property Tax Database द्वारा किया जायेगा। Property Tax अद्यतन जमा रहने पर ही आवेदक का भवन प्लान की स्वीकृति संबंधी आवेदन Building Plan Approval Management System (BPAMS) के माध्यम से स्वीकृति/अस्वीकृति के क्रम में क्रियाशील किया जायेगा।

9. यदि Property Tax अद्यतन जमा नहीं पाए जाने की स्थिति में आवेदक/LTP को सर्वप्रथम Property Tax जमा करने हेतु सूचित किया जायेगा। अद्यतन Property Tax जमा करने के उपरांत ही नक्शा स्वीकृति की अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

13.11.17

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– SUDA/AMRUT/BPAMS/PROPERTY TAX/140/2017 7059 राँची, दिनांक– 14/11/17

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ।

13.11.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– SUDA/AMRUT/BPAMS/PROPERTY TAX/140/2017 7059 राँची, दिनांक– 14/11/17

प्रतिलिपि– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

13.11.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– SUDA/AMRUT/BPAMS/PROPERTY TAX/140/2017 7059 राँची, दिनांक– 14/11/17

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/अपर सचिव, सभी संयुक्त सचिव, सभी उप सचिव; सभी अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/नगर निवेशक, नगर निवेशन संगठन/प्रबंध निदेशक, जुडको लि०, राँची/नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी, सभी शहरी स्थानीय निकाय झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.11.17

सरकार के प्रधान सचिव।